झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–17 / 2023– 2243 व०प०, राँची, दिनांक– 15/06/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002।

विषय :– **DVC हजारीबाग (सिंदूर) सब–स्टेशन से पूर्व मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के T.S.S तक 132 K.V. D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल–10.106 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–449 दिनांक–27.04.2023 एवं पत्रांक–544 दिनांक–23.05.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे के विरूद्ध हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–नगरबरसोत में चिन्हित 20.21 हे0 वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) CWLW के पत्रांक–631 दिनांक–18.05.2023 द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 15/6/2023
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–17 / 2023– 2243 व०प०, राँची, दिनांक– 15/06/2023

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 15/6/2023
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–17 / 2023– 2243 व०प०, राँची, दिनांक– 15/06/2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / अधीक्षण अभियंता (ई), टी०एस०सी० प्रमंडल–IV DVC, हजारीबाग–825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 15/6/2023
उप परामर्शी।

प्रपत्र-II

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 10.106 ha of Forest Land for construction of 132 KV D/C Hazaribagh (Sindhur) Substation of DVC to TSS of East Central Railway, Dhanbad Transmission Line under Hazaribagh West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 10.106 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-2243- dated-15/06/2023.

15/6/23

Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

(12)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 544 दिनांकः– 23/5/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदुर) सब–स्टेशन से पूर्व–मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 449 दिनांक 27.04.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक का मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 631 दिनांक 18.05.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

<u>अनु0ः–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

23-05-2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

23-5-23

2902
25/5/2023

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 2662
24 MAY 2023
झारखण्ड, राँची।

(4)

(11)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002
Email : pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक : 631 रांची दिनांक: 18/05/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कैमुद्दीन मियाँ

विषयः– **डी0भी0सी0, हजारीबाग (सिंदुर) सब–स्टेशन से पूर्व मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका ज्ञापांक 449 दिनांक 27.04.2023**

1499
18/5/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदुर) सब–स्टेशन से पूर्व मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अपयोजित की जाने वाली 10.106 हे0 वनभूमि के संबंध में परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के कम में संबंधित वनभूमि क्षेत्र में निवास करने वाले अथवा समय–समय पर पर्यावास का प्रयोग करने वाले वन्यप्राणियों के प्रबंधन एवं उन पर पड़ने वाले प्रभाव को mitigate करने हेतु Wildlife Management Plan के निर्माण के संबंध में मंतव्य की माँग की गई है।

18/05

संचिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संबंधित परियोजना में लगभग 25–30 मीटर की चौड़ाई में लगभग 3.5 से 04 कि0मी0 की लम्बाई में अलग–अलग सुरक्षित वनों (Protected Forests) में निर्माण संबंधी कार्य किये जाने हैं। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा अपने स्थल प्रतिवेदन एवं Part-II के कंडिका 8 (i) में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "वनभूमि पर Elephant, Hyena Python, Nilgai, Wild boar, Deer, Barking deer, Fox, Indian Cobra, Jungle Cat, Jackel, Rabbit इत्यादि पाए जाते हैं" साथ ही Part-II के कंडिका 16 में उनके द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि "the proposed area and surrounding area is good habitat of many wild animals and this project will definitely impact adversely on resident and migratory wild animals and birds for which a wildlife management plan will be required."

संबंधित मंतव्य पर वन संरक्षक, हजारीबाग अंचल द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है।

ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom conductor (Sag के साथ) ground clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का यथा संभव प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

(10)

Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco & Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" में निहित मार्गदर्शन इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में Site specific Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।

अतः अधोहस्ताक्षरी का यह मंतव्य है कि संबंधित परियोजना से पड़ने वाले प्रभाव को कम कराने अथवा बचाव हेतु Site Specific Wildlife Management Plan तैयार किया जाना श्रेयस्कर होगा।

विश्वासभाजन

18/5/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

18/5

18/5/23